डीआरआई ने बड़े सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया, 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का 14.2 किलोग्राम विदेशी सोना और 4.73 करोड़ रुपये मूल्य की अन्य संपत्ति जब्त की

प्रविष्टि तिथि: 05 MAR 2025 10:30AM by PIB Delhi

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने सोने की तस्करी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण अभियान में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी सोने की छड़ें ले जा रहे एक यात्री को सफलतापूर्वक पकड़ लिया।

डीआरआई के अधिकारियों ने विशेष गुप्त सूचना के आधार पर 33 वर्षीया एक भारतीय महिला यात्री को पकड़ा, जो 3 मार्च, 2025 को एमीरेट्स की उड़ान से दुबई से बेंगलुरु पहुंची थी। जांच में उसके शरीर में छुपा कर ले जाई जा रही 14.2 किलोग्राम वजन की सोने की छड़ें पाई गईं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत अधिकारियों ने 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की तस्करी की इस वस्तु को जब्त कर लिया गया।

महिला को पकड़ने के बाद, डीआरआई के अधिकारियों ने बेंगलुरु के लावेल रोड स्थित उसके आवासीय परिसर की तलाशी ली, जहां वह अपने पति के साथ रहती है। तलाशी के बाद 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। महिला यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

इस मामले में कुल 17.29 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त की गई है। संगठित रूप से सोने की तस्करी करनेवाले नेटवर्क के लिए यह बड़ा झटका है। 14.2 किलोग्राम की यह खेप हाल के दिनों में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है।

***

एमजी/केसी/केके/वाईबी

(रिलीज़ आईडी: 2108278) आगंतुक पटल : 287

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Kannada , English , Urdu , Gujarati , Tamil , Telugu , Malayalam